

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

स0स0 3/पेन-01-60/2024

आदेश

डा0 ऋषि कान्त पाण्डेय, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना जिनकी सेवा निवृत्ति की तिथि 31.01.2025 है, का बिहार सरकार, सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा पुरानी योजना 79 एव नयी योजना 1997 के अन्तर्गत वित्त विभाग के सकल्प संख्या 4185/वि0 दिनांक 13.7.1985 की कंडिका 5 एवं अधिसूचना संख्या 2757/वि0 दिनांक 27.04.1998 के द्वारा निर्गत नियमावली के नियम 4(10) 8(1) एव फैंक्स सवाद 2685/वि0 (2) दिनांक 22.04.1998 के आलोक में कुल रुपये 2,86,057/- (दो लाख छियासी हजार संतावन) रुपये मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2) उपर्युक्त संकल्प एव अधिसूचना तथा नियमों के अन्तर्गत डा0 ऋषि कान्त पाण्डेयका अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि तक योजना के सदस्य रहने तथा बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप योजना एवं सरकारी कर्मचारी ऐच्छिक ग्रुप बीमा योजना में आदेशानुसार समय-समय पर निर्धारित दर क्रमशः 20/- 80/- एवं 120/- रुपये की दर से अंशदान के रूप में अपने वेतन से भुगतान करते रहने के आलोक में जमा राशि की व्याज सहित गणना निम्न प्रकार की जाती है :-

			मूलधन	ब्याज	कुल योग
(i)	पुरानी ग्रुप बीमा योजना	-	9200	178823	188023
(ii)	नयी ग्रुप बीमा योजना	-	27048	70986	98034
	कुल योग	-	36248	249809	286057

2,86,057/- (दो लाख छियासी हजार संतावन) रुपये मात्र।

3) यह बजट शीर्ष-8011-बीमा एव पेशन निधियों राज्य सरकार के बीम निधि (व्यय) 107 राज्य सरकार बीमा निधि (1) से विकलनीय होगी।

4) वर्णित राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एव व्ययन पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा करने के पश्चात डा0 ऋषि कान्त पाण्डेय को उनके वेतनादि संबंधित खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

5) इस राशि की निकासी विपत्र कोड राख्या-00-8011001070001-0002 से की जाएगी।

ह0/-

(शैलेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक

63 [3]

/स्वा0, पटना, दिनांक

22/01/25

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अवर सचिव-सह-निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन (नया सचिवालय), पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा0 ऋषि कान्त पाण्डेय, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना, पत्राचार का पता-शांति नगर कॉलोनी, अमरा खैरा, पद्मावती डिग्री कॉलेज के समीप, उत्तर प्रदेश, पिन-221108, मो0 न0 9123162743 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एव 10 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव